भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4195

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

कृषि उपज के लिए भंडारण प्रणालियाँ

4195. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने गुजरात में कृषि उपज के लिए ब्लॉक और क्षेत्रीय स्तर पर कुशल भंडारण प्रणालियां (भांडागार, गोदाम, कोल्ड स्टोर, एकीकृत कोल्ड चेन आदि) विकसित करने के लिए कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): गुजरात एक विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करती है। वर्तमान में गुजरात में खाद्यान्न भंडारण के लिए साइलो सहित कवर्ड स्टोरेज क्षमताएं (स्वामित्व वाली+किराए पर ली गई) निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	एजेंसियां	क्षमता लाख टन
1.	भारतीय खाद्य निगम	9.34
2.	केंद्रीय वेयरहाउस निगम	21.21
3.	राज्य एजेंसियां	0.56

.....2/-

इसके अलावा, एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमता बनाई/किराए पर ली जाती है:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
2. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस)
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी वेयर हाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

*****